

02/12/24

कोई उपस्थित नहीं माना है। बार-बार आवंटित  
लापों के बावजूद कोई उपस्थित नहीं माना  
है। अफस पैरवी अफस लापों के जवाब में  
खारिज की जाती है। नंबर से रूक लो।

GCMS  
2024/656

आदेश हुआ गया

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

